# राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

## पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2014/00234
अपील संख्या 53/14 (225 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री प्राकृतिक पिता श्री शिम्भू शंकर दत्तक पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।

.....अपीलांटान

**बनाम**

1. किशनचंद पुत्र श्री मोती राम जाति ब्राहम्ण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
2. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 225 आर.टी.ए. फैसला सहायक कलैक्टर नदबई दिनांक 09.06.2014 मिसिल नं. 91/2010 व उनवानी किशनचंद बनाम जगदीश

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री विजय सिंह फौजदार एड़
वकील रैस्पो श्री पंकज कुमार एड़

निर्णय दिनांक 08.10.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नं. 1716, 1750, 1896, 1967, 1968, 1976, 1977, 1978, 1988, कुल किता 9 रकवा 3.28 है0 वाके ग्राम करही तहसील नदबई जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी का रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है जिससे प्रत्यर्थी किशन चंद का कोई संबंध व सरोकार नहीं है एक रिकोर्डेड खातेदार के अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद गोदनामें को शून्य घोषित करानें बाबत् लेकर आयें है जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। जब दावा ही चलनें योग्य नहीं है तो ऐसे मामले में स्थगन भी जारी नहीं किया जा सकता। इसी बाबत् प्रत्यर्थी का मामला सिविल न्यायालय से भी खारिज हो चुका है एवं प्रत्यर्थी की नामांन्तरण की अपील भी खारिज हो चुकी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

1. ए.आई.आर 1997 (राज0) पेज 32 1984 आर.आर.डी पेज 492
2. 2014(3) डी.एन.जे पेज 1017,1989 आर.आर.डी पेज 224
3. 2014(3) डी.एन.जे पेज 1070, 2002 आर.बी.जे पेज 246 पेश किये है।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी नें निवेदन किया कि विवादित आराजी पुश्तैनी है और पक्षकारान के हक तय होनें है जो मूलवाद में वाद साक्ष्य सबूत तय होगें। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी 2010 (1) पेज 221 पेश करते हुए निवेदन किया है कि ऐसे मामलों में रिकोर्डेड खातेदार को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से से पाबंद किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा जावे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनियम में कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

बहस उभयपक्ष एवं दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट है कि विवादित आराजी पक्षकारान के पुश्तैनी आराजी है। गोदनामें का प्रकरण सिविल न्यायालय में निर्णित हो चुका है। एवं प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय तक से भी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधोन आदेश दिनांक 09.06.2014 अपास्त किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकरी बसीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**

व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2014 / 00234

अपील संख्या 53 / 14 (225 आर.टी.एक्ट.)

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री प्राकृतिक पिता श्री शिम्भू शंकर दत्तक पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।

. .....अपीलांटान

**बनाम**

1. किशनचंद पुत्र श्री मोती राम जाति ब्राहम्ण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
2. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 225 आर.टी.ए. फैसला सहायक कलैक्टर नदबई दिनांक 09.06.2014 मिसिल नं. 91 / 2010 व उनवानी किशनचंद बनाम जगदीश

यह अपील .....08.....माह.....10.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री विजय सिंह फोजदार एड मिनजानिब अपीलाण्ट व श्री पंकज कुमार एड मिनजानिब रेस्पोडेन्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है **अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2014 अपास्त किया जाता है।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....**08**.....माह**.....10**.....सन्.....**2018**..... को जारी की गई।

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।